



दिनांक: 24-01-2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद, सहारनपुर पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भण्डाफोड करते हुए 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्तों की कब्जे/निशादेही पर कुल 8 अवैध शस्त्र (निर्मित व अर्धनिर्मित) व अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद

बरामदगी

- 03 देशी तमंचे 315 बोर
- 01 देशी मस्कट 315 बोर
- 02 तमंचे 12 बोर
- 01 देशी रिवाल्वर 32 बोर
- 01 तमंचा अधबना 315 बोर
- 06 लोहे की नाल 12 बोर
- 04 लोहे की नाल 315 बोर
- 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 03 जिन्दा कारतूस 12 बोर
- 01 हाथ से चलाने वाला पंखा
- 01 बर्मा (ड्रिल मशीन) व एक स्प्रिंग
- 04 लोहे की सीट
- असलाह बनाने के अन्य छोटे बड़े उपकरण

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन थाना देवबंद पुलिस द्वारा अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शस्त्रों/अस्त्रों की तस्करी/बिक्री की रोकथाम के लिए शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 24.01.2025 को थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा दिनांक 23.01.2025 को पकड़े गये अभियुक्त से पूछताछ व मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण 1. धनपाल सिंह पुत्र तेल्लू सिंह निवासी ग्राम तैय्यबपुर बडा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर 2. दानिश पुत्र फरजान निवासी ग्राम तैय्यबपुर बडा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर को जंगल ग्राम जटौल तैय्यबपुर बड़ा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे/निशानदेही पर अवैध अस्लाह निर्मित/अर्धनिर्मित (03 तमंचे 315 बोर, 01 मस्कट 315 बोर, 02 तमंचा 12 बोर, 01 देशी रिवाल्वर 32 बोर, 01 अधबना तमंचा 315 बोर, 06 लोहे की नाल 12 बोर लम्बाई करीब 8 अंकुल, 04 लोहे की नाल लम्बाई करीब 6 अंकुल, 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 03 जिन्दा कारतूस 12 बोर) व अस्लाह बनाने के उपकरण (हाथ से चलाने वाला 01 पंखा, 1 बर्मा/ड्रिल मशीन, 01 लकड़ी पर कंसा हुआ शिकंजा, 01 हाथ से चलाने वाली ड्रिल मशीन, 01 सिडांसी, 03 हथोड़ी, 04 छोटी व बड़ी स्प्रिंग,

04 लोहे की सीट व असलाह बनाने के अन्य छोटे बड़े उपकरण बरामद । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना देवबंद पर मु0अ0सं0 30/25 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट बनाम 1. धनपाल, 2. दानिश व 3. तेल्लू सिंह पुत्र स्व0 गिरजा सिंह निवासी ग्राम तैय्यबपुर बडा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर (मौके ग्राम जटौल तैय्यबपुर बड़ा से फरार) के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। फरार अभियुक्त की तलाश हेतु प्रयास किया जा रहा है, टीमें लगी है । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ:- दिनांक 23.01.25 को 01 तमंचा/01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित अभियुक्त आसिफ पुत्र यूसुफ निवासी शहजाद का किरायेदार मकान मौ0 बैरुन कोटला कस्बा व थाना देवबन्द ने पूछताछ पर बताया था कि मै तमंचा ग्राम तैय्यबपुर बडा से लाया था अभियुक्त से पूछताछ पर मुखबिर मामूर किये गये मुखबिर की सूचना पर तमंचा बनाने की फैक्टरी व अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तो ने बताया कि हम लोगो के पास कोई काम धंधा नही है और हम लोग कोई काम भी नही जानते है लेकिन हम लोग तमंचे बनाने काम जानते है और खोखा कारतूस को रिफिल भी कर लेते है । हम लोगो के तैयार किये गये असलाह/कारतूस को अच्छे दामों पर बेच देते है । जिसमें हम लोगो को अच्छी कमाई हो जाती है इससे जो पैसा मिलता है उसको हम लोग आपस में बराबर बांट लेते है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. धनपाल सिंह पुत्र तेल्लू सिंह निवासी ग्राम तैय्यबपुर बडा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. दानिश पुत्र फरजान निवासी ग्राम तैय्यबपुर बडा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

अभियुक्त दानिश उपरोक्त का अपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 304/23 धारा 363/366/376 भादवि व 5(j)II/ 5L/6 पोक्सो अधि0
2. मु0अ0सं0 305/23 धारा 363/376 भादवि 3(2)V/3(2)VA एससी एस्टी एक्ट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री संदीप कुमार थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री नरेन्द्र भडाना थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
4. है0का0 158 जितेन्द्र कुमार थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
5. है0का0 561 शमीम अहमद थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
6. का0 2076 धर्मेन्द्र कुमार थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
7. का0 2107 रवि राठी थाना देवबंद जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक 24.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मात्र 24 घण्टे में दुकान में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर नकबजन/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 पिठ्टु बैग में कुल 1,04,280/- रुपये व 01 आधार कार्ड, 08 विजिटिंग कार्ड व घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन व 1900 रुपये नकद बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 22.01.2025 को वादी श्री अनित गर्ग पुत्र स्व श्री सुरेन्द्र गर्ग निवासी चन्द्रनगर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोरगंज बाजार घेर चैम्बर स्थित दुकान में घुसकर दुकान के गल्ले से पैसे व अन्य सामान चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 11/25 धारा 305(A)/331(3) बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अज्ञात अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये थे। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम ने प्रभावी कार्यवाही करते हुए अभियोग दर्ज किये जाने के मात्र 24 घण्टे के अन्दर ही मुकदमा उपरोक्त में 01 शातिर चोर/अभियुक्त हैदर पुत्र अब्दुल हमीद निवासी चौक शमादार मौहल्ला जाफरनवाज थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर को शमादार चौक मौहल्ला जाफरनवाज से दिनांक 23.01.2025 की रात्रि को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 पिठ्टु बैग में कुल 1,04,280/- रुपये, 01 आधार कार्ड, 08 विजिटिंग कार्ड व घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन व 1900 रुपये नकद बरामद हुये। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में 317(2) बी0एन0एस0 की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं नशा करने का आदी हूँ तथा छोटी मोटी चोरियां करके अपने नशे की जरूरतों को पूरा कर लेता हूँ। मैं इधर उधर बाजार में घूमकर छोटी मोटी चोरी करने की जगह चिन्हित कर लेता हूँ। मैंने रात में मोरगंज बाजार घेर चैम्बर स्थित एक दुकान की छत की जाली व जंगला उखाडकर दुकान में घुसकर वहाँ पर गल्ले में रखे हुए रुपये निकालकर भाग गया था। कुछ दिनो पहले मैंने मण्डी क्षेत्र में भी चोरी की थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

हैदर पुत्र अब्दुल हमीद निवासी चौक शमादार मौहल्ला जाफरनवाज थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 पिठ्टु बैग में (कुल 1,04,280/- रुपये नकद, 01 आधार कार्ड, 08 विजिटिंग कार्ड व घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन) सम्बन्धित मु0अ0सं0--11/25 धारा 305(A)/331(3)/317(2) बीएनएस उपरोक्त
- 1900/- रुपये नकद (सम्बन्धित मु0अ0सं0 486/24 धारा 305ए/331(4) बी0एन0एस0 थाना मण्डी)

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0- 06/23 धारा 380,411,457 भादवि थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर ।
2. मु0अ0सं0- 11/25 धारा 305(A)/331(3) बी0एन0एस0 थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर ।
3. मु0अ0सं0- 486/24 धारा 305ए/331(4) बी0एन0एस0 थाना मण्डी, सहारनपुर ।
4. मु0अ0सं0 486/2024 धारा 305(A)/331(4)/317(2) बी0एन0एस 2023 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0- 06/23 धारा 380/411/547 थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर
6. मु0अ0सं0- 79/19 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर
7. मु0अ0सं0- 41/22 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना जनकपुरी, सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री नरेश सिंह थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर ।
3. उ0नि0 श्री रविन्द्र धामा थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर ।
4. का0 296 तरुण शर्मा थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर ।
5. का01354 अभिषेक कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर ।
6. का0 2253 संजय कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर ।
7. का0 1065 अनुज पाल थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर ।



दिनांक - 24.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी, सहारनपुर पुलिस द्वारा नशा तस्करी के मामलों में NBW वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा नशा तस्करी के मामलों में **01 वारण्टी अभियुक्त सुमेरचन्द सैनी पुत्र बुद्धु सैनी नि0 मौ0 खानआलमपुरा मन्दिर वाली गली थाना जनकपुरी सहारनपुर** को सम्बन्धित मु0अ0स0 89/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम चालानी थाना कोतवाली नगर में थाना क्षेत्र जनकपुरी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सुमेरचन्द सैनी पुत्र बुद्धु सैनी नि0 मौ0 खानआलमपुरा मन्दिर वाली गली थाना जनकपुरी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 श्री विजय सिंह थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
2. का0 2343 पोपीन कुमार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।



दिनांक - 24.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले
अभियुक्त गिरफ्तार, अपहर्ता को किया गया सकुशल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 09.01.2025 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त रिहान पुत्र मुकर्रम नि0 ग्राम मालाहेडी थाना बेहट सहारनपुर द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री को बहला फुलसाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 007/25 धारा 137(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी व अपहृता की बरामदगी हेतु प्रभारी निरीक्षक जनकपुरी को आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में महिला सम्बन्धी अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए वांछित **अभियुक्त रिहान पुत्र मुकर्रम नि0 ग्राम मालाहेडी थाना बेहट सहारनपुर** को जमालपुर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया तथा अपहृता को सकुशल बरामद किय गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 7/8 पोक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

रिहान पुत्र मुकर्रम नि0 ग्राम मालाहेडी थाना बेहट सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. अति0 निरीक्षक श्री संजय कुमार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
2. है0का0 218 अय्यूब अली थाना जनकपुरी
3. म0का0 845 ममता थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर



दिनांक 24.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर वाहन चोर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर चोरी की मोटरसाइकिल व मोटरसाइकिल के पार्ट्स बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/नकबजनी/लूट आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व नकबजन/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 23.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग/गश्त के दौरान 01 शातिर नकबजन/वाहन चोर अभियुक्त अनवर पुत्र मुनव्वर निवासी ग्राम भाऊपुर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को ज्ञानकलश स्कूल के पास खाली पड़े प्लाट से गिरफ्तार किया गया। कब्जे/निशानदेही पर 01 चोरी की मोटरसाइकिल सुपर स्पलैण्डर व 02 टायर अलॉय व्हील सहित, 04 साइलेन्सर, 01 ब्रेक सू, 01 करन्ट कॉयल, 03 पेट्रोल टंकी मो0सा0 की, 04 सौकर मो0सा0, 01 नम्बर प्लेट, 05 मडगाड, 02 चैन कवर, 01 एयर फिल्टर, 01 स्टील का फूट रेस्ट, 01 स्टील की डिग्गी, 01 चैन स्पोकिट मो0सा0, 01 चैन मो0सा0, 01 पेचकस, 01 चाबी, 01 पाना, 01 चैचिस बरामद। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 23/2025 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस बनाम अनवर सहित 03 के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त अनवर उपरोक्त ने बताया कि मैं तथा मेरे दोनों लड़के मोटरसाइकिल चोरी का काम करके उनके सामानों को खोलकर निकालकर अलग अलग बेच देते हैं जिससे हमें अच्छा मुनाफा होता है। आज भी मेरे दोनों लड़के मो0सा0 के खुल हुए कुछ सामानों को लेकर बेचने चले गये हैं तथा बाकी बचे सामान व मोटरसाइकिल को मुझे देकर चले गये थे तथा कहकर गये थे कि इस मोटरसाइकिल को भी खोलकर बेच देंगे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अनवर पुत्र मुनव्वर निवासी ग्राम भाऊपुर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 01 चोरी की मोटरसाइकिल सुपर स्पलैण्डर
- मोटरसाइकिल के पार्ट्स (02 टायर अलॉय व्हील सहित, 04 साइलेन्सर, 01 ब्रेक सू, 01 करन्ट कॉयल, 03 पेट्रोल टंकी मो0सा0 की, 04 सौकर मो0सा0, 01 नम्बर प्लेट, 05 मडगाड, 02 चैन कवर, 01 एयर फिल्टर, 01 स्टील का फूट रेस्ट, 01 स्टील की डिग्गी, 01 चैन स्पोकिट मो0सा0, 01 चैन मो0सा0, 01 पेचकस, 01 चाबी, 01 पाना, 01 चैचिस) बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री जयवीर सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 453 प्रवीण कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. का0 1215 कपिल गौड थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 24.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ, साइबर हेल्प डेस्क द्वारा साइबर ठगी के माध्यम से ठगी गयी कुल 94,500/- रुपये की शत-प्रतिशत धनराशि पीडित के खाते में करायी गयी वापस

अवगत कराना है कि दिनांक 19.12.2024 को वादी/पीडित शौकीन पुत्र कुर्बान नि0 ग्राम कोठडी बहलोलपुर थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर द्वारा एक लिखित तहरीर बाबत आनलाइन फ्राड के माध्यम से कुल 94,500/- रुपये की धनराशि ठग लेने के सम्बन्ध में सूचना पर थाना बिहारीगढ साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा शिकायत सं0 33112240158603 दर्ज की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम हेतू जन-मानस को जागरूक करने व साइबर ठगी के माध्यम से ठगी गयी धनराशि पीडितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री जावेद खान के कुशल नेतृत्व मे दिनांक 19.12.2024 थाना बिहारीगढ साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा **पीडित शौकीन पुत्र कुर्बान नि0 ग्राम कोठडी बहलोलपुर थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर** की साइबर ठगी के माध्यम से ठगी गयी कुल 94,500/- रुपये की धनराशि को विधिक कार्यवाही कर आईडीएफसी बैंक शाखा बरेली मे होल्ड कराया गया था। आज दिनांक 24.01.2025 को थाना बिहारीगढ साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा पीडित की ठगी में गयी **94,500/- रुपये** की धनराशि पीडित के खाते में वापस करायी गयी। पीडित द्वारा ठगी गयी रकम की शत-प्रतिशत धनराशि खाते में वापस पाकर थाना बिहारीगढ साइबर हेल्प डेस्क टीम का आभार व्यक्त किया गया।

पीडित का नाम व पता:-

शौकीन पुत्र कुर्बान नि0 ग्राम कोठडी बहलोलपुर थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

साइबर ठगी के रुपये वापस कराने वाली साइबर टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री जावेद खान थाना बिहारीगढ सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री देवेश कुमार थाना बिहारीगढ सहारनपुर
3. का0 आ0 राहुल कुमार थाना बिहारीगढ सहारनपुर
4. का0 2363 बिशाल सिंह थाना बिहारीगढ सहारनपुर



दिनांक: 24.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 02 किलो 742 ग्राम अवैध चरस (अनुमानित कीमत करीब 06 लाख रुपये)

बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशा कारोबार में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 नशा तस्कर अभियुक्त अली खान पुत्र यासीन निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर को मिर्जापुर मैडिकल स्टोर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 02 किलो 742 ग्राम अवैध चरस बरामद हुयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 10/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ- अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैं पुलिस से बचते-बचाते चोरी छिपे बरेली से यह नशीला पदार्थ सस्ते दामों में खरीद कर लाता हूँ और ट्रक चालकों व नशा के शौकीन लोगों को महंगे दामों में बेच देता हूँ। जिससे मुझे अच्छी खासी कमाई हो जाती है। जिस व्यक्ति से मैं यह नशीला सामान खरीद कर लाता हूँ उसका नाम पता मैं नहीं जानता।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

अली खान पुत्र यासीन निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

➤ 02 किलो 742 ग्राम अवैध चरस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री गजेन्द्र सिंह थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. हे0का0 861 धर्मसिंह थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
3. का0 1365 मंजीत थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
4. का0 1131 सूरज शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
5. का0 2319 दानवीर सिंह थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
6. का0 2284 श्रीकृष्ण थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
7. का0 1176 रवि कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 24.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 11 बोतल देशी शराब,माल्टा (हरियाणा मार्का) बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थों/अवैध शराब की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशा कारोबार में संलिप्त शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 23.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त अंशुल पुत्र सुभाषपाल निवासी ग्राम शेरपुर थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर को खारा पावर हाउस के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 11 बोतल देशी शराब माल्टा हरियाणा मार्का बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 9/2025 धारा 60/63 आबकारी अधि0 के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ- अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैं हरियाणा से देशी शराब सस्ते दामों में लेकर आता हूँ और ट्रक चालको व शराब पीने वाले लोगो को महगे दामों में बेच देता हूँ। जिससे मुझे काफी मुनाफा हो जाता है

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

अंशुल पुत्र सुभाषपाल निवासी ग्राम शेरपुर थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

➤ 11 बोतल देशी शराब माल्टा हरियाणा मार्का

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 91/23 धारा 379,411,414,465 भादवि थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर ,
2. मु0अ0सं0 389/15 धारा 102,41 सीआरपीसी व धारा 411,414,420,468,471 भादवि थाना बेहट जनपद सहारनपुर ,
3. मु0अ0सं0 391/15 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर ,
4. मु0अ0सं0 07/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर,
5. मु0अ0सं0 41/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर,
6. मु0अ0सं0 112/23 धारा 380,411,457 भादवि थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री बिजेन्द्र सिंह रावल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. है0का0 891 अमित राठी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।



दिनांक 24.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा 01 वाहन चोर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की स्कूटी बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 23.01.2025 को वादी श्री जसवन्त सिंह पुत्र स्व० मकखन सिंह बतरा निवासी 255 न्यू आवासा विकास राम चौक दिल्ली रोड थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की स्कूटी न०- UP11AY9507 रंग ग्रे को चोरी कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु०अ०स० 38/94 धारा 303(2) बीएनएस में पंजीकृत कराया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल वाहन चोरी की घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी व वाहन की बरामदगी हेतु प्रभारी निरीक्षक को आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में वाहन चोरी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वाहन चोर/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा चैकिंग/गश्त के दौरान 01 वाहन चोर **अभियुक्त पिकी पुत्री राजू नि०-हसनपुर मौ०पुरमाफी चौकी के बराबर वाली गली थाना सदर बाजार सहारनपुर** को रेलवे खण्डहरो वाले रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 एक्टवा स्कूटी रंग ग्रे UP 11AY9507 बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में 317(2)/318(4) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

पिकी पुत्री राजू नि०-हसनपुर मौ०पुरमाफी चौकी के बराबर वाली गली थाना सदर बाजार सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

01 चोरी गयी स्कूटी

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. उ०नि० श्री रणपाल सिंह थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
2. उ०नि० श्री योगेन्द्र कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।
3. म०उ०नि० अंजू सिंह थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
4. है०का० 881 धीरज कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।
5. म०का० 87 रितू थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 24.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारन साइबर हेल्प डेस्क द्वारा साइबर ठगी के माध्यम से ठगी गयी कुल 28000/- रुपये की धनराशि मे से 18000/- रुपये की धनराशी पीडित के खाते में करायी गयी वापस

अवगत कराना है कि दिनांक 10.01.25 को वादी/ श्री विनित कुमार पुत्र श्री राजपाल नि0 शेखुपुरा थाना नानौता जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्तियों द्वारा आनलाइन फ्राड के माध्यम से वादी की कुल 28,000/- रुपये की धनराशि उग लेने के सम्बन्ध में साइबर हैल्पलाईन नं0 1930 पर काल करके शिकायत सं0 23101250005569 दर्ज करायी गयी थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम हेतु जन-मानस को जागरूक करने व साइबर ठगी के माध्यम से ठगी गयी धनराशि पीडितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व मे दिनांक 18.01.2025 को थाना रामपुर मनिहारन साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा पीडित श्री विनित कुमार पुत्र श्री राजपाल नि0 शेखुपुरा थाना नानौता जिला सहारनपुर की साइबर ठगी के माध्यम से ठगी गयी कुल 28000/- रुपये की धनराशि मे से 18000/- रुपये की धनराशी को विधिक कार्यवाही कर श्री राम फिलिंग स्टेशन के पेट्टीएम मर्चेन्ट अकाउन्ट मे होल्ड कराया गया था। आज दिनांक 24.01.2025 को थाना रामपुर मनिहारन साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा पीडित की ठगी में गयी **28000/- रुपये** की धनराशि मे से 18000/- रुपये पीडित के खाते में वापस करायी गयी। पीडित द्वारा ठगी **गयी रकम** मे से 18000/- रुपये की धनराशि खाते में वापस पाकर थाना रामपुर मनिहारन साइबर हेल्प डेस्क टीम का आभार व्यक्त किया गया।

पीडित का नाम व पता:-

श्री विनित कुमार पुत्र श्री राजपाल नि0 शेखुपुरा थाना नानौता जिला सहारनपुर

साइबर ठगी के रूपये वापस कराने वाली साइबर टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री जसपाल सिंह थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
3. कम्प्यूटर आपरेटर नमन शर्मा थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
4. का0 2250 जितेन्द्र कुमार थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर



दिनांक: 24.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त जहांगीर पुत्र जमशेद निवासी जैन कालोनी मुजफ्फरी मस्जिद के सामने बिस्मिल्ला डेयरी वाली गली थाना मण्डी सहारनपुर को सम्बन्धित अंतर्गत धारा 128 सीआरपीसी चालानी थाना मण्डी स0पुर नियत दिनांक 31.01.2025 (मा0 न्यायालय प्रधान न्यायाधीश/परिवार न्यायालय सहारनपुर) में थाना मण्डी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

जहांगीर पुत्र जमशेद निवासी जैन कालोनी मुजफ्फरी मस्जिद के सामने बिस्मिल्ला डेयरी वाली गली थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

उ0नि0 श्री अतुल कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

हे0का0 477 विनोद पँवार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर



दिनांक: 24.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 वारंटी **अभियुक्त अकरम पुत्र इकराम निवासी कमेला कालोनी थाना मंडी सहारनपुर** को वाद सं० 22374/2018 अंतर्गत धारा 380 भादवि 3/5/8 सीएस एक्ट चालानी थाना कुशेशर नियत दिनांक 13.02.2025 (मा० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहारनपुर) में थाना मण्डी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अकरम पुत्र इकराम निवासी कमेला कालोनी थाना मंडी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ०नि० श्री अश्वनी कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. का० 500 विकल सोम थाना मण्डी जनपद सहारनपुर



दिनांक: 24.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता पुलिस द्वारा 01 शातिर वाहन चोर को किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाईकिल बिना नम्बर प्लेट बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वाहन चोर/नकबजनी/लूट आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वाहन चोर/नकबजन/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.01.2025 को थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा थाना नानौता पर पंजीकृत मु0अ0स0 241/24 धारा 317(5)/336(2) बीएनएस में वांछित चल रहे 01 वाहन चोर/अभियुक्त गौतम उर्फ लालू उर्फ लाल सिंह पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम भावसी रायपुर थाना नानौता जनपद सहारनपुर को माधोपुर पुलिस गंगोह रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाईकिल बिना नम्बर प्लेट हीरो स्पलेण्डर प्लस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना नानौता पर मु0अ0स0 16/25 धारा 317(5) बीएनएस पंजीकृत किया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ:- अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने व मेरे साथियों ने मिलकर अलग अलग जगह से मोटर साईकिल चोरी की थी मेरे साथियों को पुलिस ने पकड़ लिया था और उनसे चोरी की 09 मोटरसाकिल बरामद हुई थी मैं उस समय मौके से भाग गया था। आज पुलिस ने मुझे पकड़ लिया है आज मुझ से जो मोटर साईकिल बरामद हुई है यह मैंने करीब 1.5 महिने पहले रामपुर मनिहारन से चोरी की थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

गौतम उर्फ लालू उर्फ लाल सिंह पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम भावसी रायपुर थाना नानौता जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

➤ 01 मोटरसाईकिल हीरो स्पलेण्डर बिना नंबर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 165/22 धारा 323/325/504/506 भादवि थाना नानौता सहारनपुर
2. मु0अ0स0 241/24 धारा 303(2)/317(2)/317(5)/336(2) बीएनएस थाना नानौता सहारनपुर
3. मु0अ0स0 404/24 धारा 379/411 भादवि थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
4. मु0अ0स0 16/25 धारा 317(5) बीएनएस थाना नानौता सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री धीरज सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री रामचरन सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4. है0का0 823 नीरज थाना नानौता जनपद सहारनपुर



दिनांक: 24.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिये उकसाने के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 20.11.2024 को वादी श्री अरुण वर्मा पुत्र किशनलाल निवासी रामपुर मनिहारन दरवाजा कला थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर द्वारा एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. वकील अहमद तेली पुत्र कल्लन तेनी निवासी अम्बेहटा पीर थाना नकुड जनपद सहारनपुर हाल निवासी सिडकी थाना नागल जनपद सहारनपुर 2. शकील अहमद तेली पुत्र कल्लन तेलनी निवासी अम्बेहटा पीर थाना नकुड जनपद सहारनपुर 3. मेहरदीन राणा पुत्र फय्याज राणा निवासी ग्राम जोगीपुरा उर्फ हमजागढ थाना गंगोह जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के चाचा संजय वर्मा को बरगलाकर सम्पत्ति बिकवा कर पैसे हडप लेना व आत्महत्या करने पर मजबूर करने के सम्बन्ध में सूचना पर थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 347/24 धारा 108 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेकर घटना का शीघ्र अनावरण कर अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। इसी क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच.एन. सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित **अभियुक्त वकील अहमद पुत्र कल्लन निवासी अम्बेहटा पीर थाना नकुड जनपद सहारनपुर हाल पता ग्राम सिडकी थाना नागल जनपद सहारनपुर** को अम्बेहटा बस अड्डे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मैं गाडी का ड्राईवर हूँ। अब से करीब 06 साल पहले मैंने व मृतक संजय वर्मा ने एक सैकैन्ड-हैण्ड गाडी कैन्टर साझे में निकाली थी जिसमें संजय वर्मा ने लोन लेकर पैसा दिया था, तथा मैंने अपने नाम पर फाईनैस कराया था व गाडी अपने नाम करायी थी। उसके बाद लाकडाऊन में गाडी खाली खड़ी होने के कारण उसकी किस्त टूट गयी थी। जिसके बाद कुछ रूपये संजय वर्मा के मेरे पास रह गये तथा कुछ रूपये मैंने उसे लौटा दिये थे। मृतक संजय वर्मा ने इसीलिए मेरा नाम सुसाईड नोट में लिखा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

वकील अहमद पुत्र कल्लन निवासी अम्बेहटा पीर थाना नकुड जनपद सहारनपुर हाल पता ग्राम सिडकी थाना नागल जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच.एन. सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री धीर सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 559 सन्नी राणा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 24.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश **थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा गैंगस्टर के मुकदमें में वांछित 02 अभियुक्तगण को किया गया** **गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि दिनांक 08.01.2025 को प्रभारी निरीक्षक थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर द्वारा मु0अ0सं0 08/25 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम तसलीम उर्फ बाबू आदि 06 अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु शांति गैंगस्टर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण 1. गुलबहार उर्फ मिन्डा पुत्र यामीन निवासी शकूरी मस्जिद चांद कालोनी/कमेला कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर 2. नफीस उर्फ मोनू उर्फ अनीस पुत्र निहार अहमद निवासी गली नं0 5 हबीबगढ/एकता कालोनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को 62 फुटा चौक के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. गुलबहार उर्फ मिन्डा पुत्र यामीन नि0 शकूरी मस्जिद चांद कालोनी/कमेला कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. नफीस उर्फ मोनू उर्फ अनीस पुत्र निसार अहमद नि0 गली नं0 5 हबीबगढ/एकता कालोनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभि0 गुलबहार उर्फ मिन्डा उर्फ मांडा उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 96/24 धारा 457/380/411 भादवि थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 100/24 धारा 4/25 आर्म्स अधिनियम थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 252/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 102/2005 धारा 323/3498ए/504 भादवि व दहेज प्रति0 अधिनियम थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 94/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभि0 नफीस उर्फ मोनू उर्फ अनीस उपरोक्त:-

मु0अ0सं0 258/24 धारा 305ए/217(2) बीएनएस थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 असगर अली थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 559 सन्नी राणा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. का0 1808 आशीष कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।